(SDO) शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), शिव
जिला – बाड़मेर

.गण :–

1. गोपालसिंह 2. कोजराजसिंह 3. राजूसिंह 4. प्रतापसिंह 5. हेमसिंह पि0 कंवराजसिंह, कौम राजपूत, निवासी बलाई, तहसील शिव

प्रतिवादी :–

1. कंवराजसिंह पुत्र सगतसिंह, कौम राजपूत, निवासी बलाई, तहसील शिव 2. श्रीमती गंगा कंवर पुत्री कंवराजसिंह पत्नी तेजमालसिंह, कौम राजपूत, निवासी लक्ष्मणसर, तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 रा0 का0 अधि0 राजस्व वाद संख्या :– 177/18

28.06.2018	वादीगण ने बमुकाम लोक अदालत कैम्प बलाई उपस्थित होकर इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी सम्पति की संयुक्त हक एवं कब्जाकाश्त की भूमि ख0 न0 570/337 रकबा 37.10 मौजा बलाई तहसील शिव, ख0 न0 490/361 रकबा 216 बीघा ग्राम फतेहनाडा तहसील शिव में अवस्थित है। उक्त भूमि वक्त बन्दोबस्त सगतसिंह के नाम दर्ज हुई थी। पक्षकार जाति से राजपूत होने से हिन्दु विधि से शाषित होते हैं, सगतसिंह के फौत होने पर उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 कंवराजसिंह के नाम से दर्ज हुई। जबकि भूमि पुश्तैनी होने से वादीगण का जन्मतः हक निहित है। उक्त भूमि के रिकार्ड में नाम अंकित नहीं होने से वादीगण अपने हिस्से की भूमि के विकास हेतु सहकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं नहीं प्राप्त कर पा रहा हैं। यद्यपि कंवराजसिंह की पुत्री एवं सगतसिंह की पोती होने के नाते प्रतिवादिनी संख्या 2 का भी उक्त भूमि में बहिस्सा बराबर हक था, किन्तु उसके हिस्से की भूमि के बदले उसके विवाह के दौरान उसे सोने – चांदी एवं नकदी के रूप में पूरी उजरत दी जा चुकी थी। इस प्रकार उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का 1/6 – 1/6 हिस्सा है। इसी अनुसार पक्षकार वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। अतः वादीगण ने स्वयं को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाते हुए 1/6 हिस्सा अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है। वाद पंजीयन कर उसमें अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार शिव से रिपोर्ट तलब की गई, मजमे आम में उपस्थित ग्रामीणों से पूछताछ की गई। मौखिक साक्ष्य में वादीगण की ओर से असन कंवर व कंवराजसिंह द्वारा पी.डब्लू 1 व 2 द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की खतौनी बन्दोबस्त रिकार्ड प्रदर्श 1 व 2, वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी प्रदर्श 3 व 4, उक्त भूमि के नक्शा ट्रेस प्रदर्श 5 व 6 एवं वादी के अन्य दस्तावेज प्रदर्श 7 से 9 प्रस्तुत किये। प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादिनी संख्या 2 ने पृथक –	

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner

पृथक जवाब प्रस्तुत कर वाद के तथ्यों को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की।

हमने वाद के तथ्यों पर दोनों पक्षों को सुना एवं गवाहान के शपथपत्रों तथा दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार शिव की रिपोर्ट एवं बन्दोबस्त रेकर्ड के अनुसार मौजा बलाई की ख0 न0 570/337 रकबा 37.10 बीघा की भूमि पुश्तैनी नहीं होकर प्रतिवादी संख्या 1 कंवराजसिंह की स्वार्जित है। मौजा फतेहनाडा तहसील शिव की ख0 न0 490/361 की भूमि वक्त बन्दोबस्त सगतसिंह के नाम दर्ज होने से पक्षकारान की पुश्तैनी है। अतः ख0 न0 570/337 के सम्बन्ध में वादी की इस्तदुआ निरस्त की जाती है। जहां तक प्रतिवादिनी संख्या 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित अपने हिस्से का अपने पिता व भाई के पक्ष में किये जाने का प्रश्न है, वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादिनी संख्या 2 का पुश्तैनी हक है और यदि वह अपना हक शेष खातेदारान के पक्ष में देना चाहती है, तो वह जरिये हकतर्कनामा सक्षम रजिस्ट्रेशन अधिकारी के समक्ष रजिस्टर्ड करवाने के लिए स्वतंत्र है। ऐसी सूरत में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण एवं प्रतिवादिनी संख्या 2 की प्रविष्टि वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि में बतौर सहखातेदार दर्ज किये जाने में कोई आपति नहीं है।

लिहाजा वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम फतेहनाडा तहसील शिव की खसरा नम्बर 490/361 रकबा 216 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादिनी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार करार देते हुए प्रत्येक को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को बमुकाम कैम्प बलाई सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर शिव

Scanned by CamScanner

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

डिक्री पर्चा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव, जिला बाडमेर, कैम्प बलाई

पीठासीन अधिकारी :– श्री चन्द्रभानसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व वाद :– 177/2018

वादीगण :–

1. गोपालसिंह 2. कोजराजसिंह 3. राजूसिंह 4. प्रतापसिंह 5. हेमसिंह पि0 कंवराजसिंह, कौम राजपूत, निवासी बलाई, तहसील शिव

प्रतिवादी :–

1. कंवराजसिंह पुत्र सगतसिंह, कौम राजपूत, निवासी बलाई, तहसील शिव 2. श्रीमती गंगा कंवर पुत्री कंवराजसिंह पत्नी तेजमालसिंह, कौम राजपूत, निवासी लक्ष्मणसर, तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

निर्णय

दिनांक :– 28.06.2018

वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्वयं आज दिनांक 28.06.2018 को न्यायालय सहायक कलक्टर शिव के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम फतेहनाडा तहसील शिव की खसरा नम्बर 490/361 रकबा 216 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादिनी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार करार देते हुए प्रत्येक को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं।

खर्चा पक्षकार अपना – अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 28.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाडमेर

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर, शिव
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner